न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2023-157RAABarmer2023-06RTA223 Lrs of Nakhato ors Vs Lrs of Maluka etc
2023-181RAABarmer2023-08RTA223 Lrs of Nihaliya ors Vs Lrs of Maluka etc

मृतका श्रीमती नखतों पुत्री गुलाबो पत्नी रणजीता जाति– भील निवासी सियाम्बर के वारिसान:–

01. दुर्गाराम पुत्र नखतों जाति भील निवासी सियाम्बर जिला– जैसलमेर
02. हुकमाराम पुत्र नखतों जाति भील निवासी सियाम्बर जिला– जैसलमेर
03. पदमाराम पुत्र नखतों जाति भील निवासी सियाम्बर जिला– जैसलमेर
04. पठानाराम पुत्र नखतों जाति भील निवासी सियाम्बर जिला– जैसलमेर
05. मूली पुत्री नखतों पत्नी श्री भूराराम जाति भील निवासी भेलाणी तह० फतेहगढ जिला– जैसलमेर।

मृतका श्रीमती गवरी पुत्री गुलाबो पत्नी बिजाराम जाति– भील निवासी जेठवाई जिला–जैसलमेर के कायम मुकाम –

06. हमीराराम पुत्र गवरी जाति– भील निवासी जेठवाई जिला– जैसलमेर ।
07. मांसीगाराम पुत्र गवरी जाति– भील निवासी जेठवाई जिला– जैसलमेर ।
08. बेरसीराम पुत्र गवरी जाति– भील निवासी जेठवाई जिला– जैसलमेर ।
09. मोतीराम पुत्र गवरी जाति– भील निवासी जेठवाई जिला– जैसलमेर ।
10. श्रीमती हरखु पुत्री गवरी पत्नी सुखाराम जाति– भील निवासी मे बटिया लाणेला के पास जिला– जैसलमेर ।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

मृतक मलूका पुत्र खंगार जाति– भील निवासी सलखा जिला– जैसलमेर के कायम मुकाम वारिसान –

1. आतम पुत्र मलूका जाति– भील निवासी सलखा जिला– जैसलमेर।
2. आम्बा पुत्र मलूका जाति– भील निवासी सलखा जिला– जैसलमेर।
3. जेठाराम पुत्र मलूका जाति– भील निवासी सलखा जिला– जैसलमेर।
4. मगाराम पुत्र मलूका जाति– भील निवासी सलखा जिला– जैसलमेर ।
5. हकीम पुत्र मलूका जाति भील, निवासी– सलखा, जिला जैसलमेर।
6. श्रीमती फुली पुत्री मलूका पत्नी तिलोकाराम जाति भील, निवासी– चूंधी जिला जैसलमेर।

मृतक निहालिया पुत्र गुलाबो जाति– भील निवासी सलखा जिला– जैसलमेर के कायम मुकाम वारिसान :–

7. श्रीमती तीजों पत्नी निहाला जाति– भील निवासी हाल– मूलसागर जिला– जैसलमेर।
8. सबलाराम पुत्र निहाला जाति– भील निवासी सलखा जिला– जैसलमेर।
9. चाणनाराम पुत्र निहाला जाति–भील निवासी हाल मूलसागर जिला– जैसलमेर।
10. प्रेमाराम पुत्र निहाला जाति– भील निवासी हाल मूलसागर जिला– जैसलमेर।
11. श्रीमती केकूं पुत्री निहाला पत्नी भीमाराम जाति– भील निवासी थूम्बली जिला बाडमेर।
12. कुंता पुत्री निहाला पत्नी सुजानाराम जाति– भील निवासी बालासर जिला बाडमेर।
13. लालाराम पुत्र पूनमाराम जाति भील, निवासी– कन्नोई, जिला जैसलमेर।
14. विकास कुमार मीणा पुत्र बद्रीप्रसाद साकिन– पलसाना जिला सीकर।
15. लेण्ड होल्डर तहसीलदार जैसलमेर, हाल सम।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 सितंबर 1987 सहायक कलक्टर जैसलमेर राजस्व मूल वाद संख्या 13/1987 मलूका बनाम निहालिया इत्यादि

---

02. 2023-181RAABarmer2023-08RTA223 Lrs of Nihaliya ors Vs Lrs of Maluka etc

मृतक-निहालिया पुत्र गुलाबो जाति— भील निवासी सलखा जिला— जैसलमेर के कायम मुकाम वारिसान :—

01. श्रीमती तीजों पत्नी निहाला जाति— भील निवासी हाल— मूलसागर जिला— जैसलमेर।
02. सबलाराम पुत्र निहाला जाति— भील निवासी सलखा जिला— जैसलमेर।
03. चाणनाराम पुत्र निहाला जाति—भील निवासी हाल मूलसागर जिला— जैसलमेर।
04. प्रेमाराम पुत्र निहाला जाति— भील निवासी हाल मूलसागर जिला— जैसलमेर।
05. श्रीमती केकूं पुत्री निहाला पत्नी भीमाराम जाति— भील निवासी थूम्बली जिला बाड़मेर।
06. कुंता पुत्री निहाला पत्नी सुजानाराम जाति— भील निवासी बालासर जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

मृतक मलूका पुत्र खंगार जाति— भील निवासी सलखा जिला— जैसलमेर के कायम मुकाम वारिसान —

16. आतम पुत्र मलूका जाति— भील निवासी सलखा जिला— जैसलमेर।
17. आम्बा पुत्र मलूका जाति— भील निवासी सलखा जिला— जैसलमेर।
18. जेठाराम पुत्र मलूका जाति— भील निवासी सलखा जिला— जैसलमेर।
19. मगाराम पुत्र मलूका जाति— भील निवासी सलखा जिला— जैसलमेर ।
20. हकीम पुत्र मलूका जाति भील, निवासी— सलखा, जिला जैसलमेर।
21. श्रीमती फुली पुत्री मलूका पत्नी तिलोकाराम जाति भील, निवासी— चूंधी जिला जैसलमेर।
22. विकास कुमार मीणा पुत्र बद्रीप्रसाद साकिन— पलसाना जिला सीकर।
23. लालाराम पुत्र पूनमाराम जाति भील, निवासी— कन्नोई, जिला जैसलमेर।
24. लेण्ड होल्डर तहसीलदार जैसलमेर, हाल सम।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 सितंबर 1987 सहायक कलक्टर जैसलमेर राजस्व मूल वाद संख्या 13/1987 मलूका बनाम निहालिया इत्यादि

उपस्थित—

श्री श्रवण कुमार, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री पब्बाराम हमीरा, श्री गिरधारी लाल राठौड़ अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01, 02, 04 से 07
श्री मुरलीधर जोशी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 08

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नि र्ण य

दिनांक : 20 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने दोनो अपीले अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/1987 अनवान मलूका बनाम निहालिया इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 सितंबर 1987 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 जुलाई 2023 14 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलो के अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीले पूर्व में समेकित किये जाने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/वादी मलूका ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा खसरा संख्या 115 रकबा 45 बीघा 15 बिस्वा बारानी व खसरा संख्या 456 रकबा 52 बीघा खड़ीन वादी की पुश्तैनी भूमि है। वादी के पिता खंगार व प्रतिवादी के दादा मिश्री सगे भाई थे तथा सरसरी बन्दोबश्त से पूर्व फौत हो चुके थे। उस समय दोनों सख्शों की औलाद वादी व प्रतिवादी के पिता गुलाबा थे। मौके पर कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता का बराबर कायम रहा। स्थाई भू प्रबंध के समय संवत् 2022 में प्रतिवादी निहालिया के पिता गुलाबो को कृषक मानते हुए पट्टा दे दिया, जबकि वादी व प्रतिवादी के पूर्वजों का 1/2 हिस्सा बनता था, इसलिये वादी व प्रतिवादी बराबर बराबर 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदारी हक प्राप्त करने के हकदार है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी मलूका के खातेदारी घोषणा के वाद को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 सितंबर 1987 के जरिये स्वीकार लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपीले प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में रेस्पोडेंट्स के पूर्वज मलूका का समरी सैटलमेंट 1955 से लेकर फाईनल सैटलमेंट की पैमाईश 1965 तक व उसके पश्चात् फाईनल सैटलमेंट का रेकर्ड संवत् 2032 को लागू करने तक उसका कोई हक या हिस्सा या इस जमीन से सरोकार नहीं था। समरी सैटलमेंट सन् 1955 में लागू हुआ, उस राजस्व रेकर्ड पर्चा खतौनी पट्टा, कम्प्रेटिव रजिस्टर, गिरदावरी संवत् 2015 से 2031, जमाबंदी खतौनी 2015 से 2031 में केवल मात्र तनहा मालिक गुलाबा पुत्र मिश्री था तथा उसी का मालिकाना हक व कब्जा काश्त था तथा सन् 1955 से लेकर अन्त तक सरकार की तरफ से जो बिघोडी की रकम वसूल की जाती रही, वह राजस्व रेकर्ड ढाल–बांछ केवल मात्र गुलाबा पुत्र मिश्री के नाम ही दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में मलूका पुत्र खंगार (वादी) ने समरी सैटलमेंट का ऐसा कोई रेकर्ड प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया है, जिससे उसके पिता खंगार का व उसका स्वयं का कोई मालिकाना हक या कब्जा काश्त साबित होता हो। उक्त विवादग्रस्त जमीन समरी सैटलमेंट के रेकर्ड देखने से एकदम स्पष्ट है कि सन् 1955 में जब कानून बना, तब से लेकर फाईनल सैटलमेंट के बाद तक न तो गुलाबा के पिता मिश्री के नाम कोई जमीन थी और न ही उसके दादा के नाम जमीन थी और खातेदार गुलाबा के कोई सगा भाई नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में वादी मलूका ने अपने कब्जे काश्त की पुष्टि में कोई गिरदावरी या जमाबंदी की नकल दावा में प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी मलूका ने सरकार में उसने या उसके पिता खंगार ने कोई सरकार में बिगोडी की रकम अदा नहीं की है, वह फाईल देखने से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने से स्पष्ट है कि फाईनल सैटलमेंट की पैमाईश सन् 1965 से जैसलमेर में शुरू हो चुकी थी और इसका सम्पूर्ण रेकर्ड नये खसरे व नक्शे इत्यादि तैयार होकर संवत् 2032 में यह लागू हो गया था, लेकिन फाईनल सैटलमेंट का भी ऐसा कोई रेकर्ड वादी मलूका द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उसका रती मात्र भी हक व हिस्सा बनता हो। वादी मलूका ने प्रतिवादी निहालिया जो कि गुलाबा का वारिस था और गुलाबा की मृत्यु के पश्चात् उसके नाम खातेदारी भूमि दर्ज करने का म्युटेशन भरा गया, उसकी बीमारी का नाजायज फायदा उठा कर उसकी हालत को देखते हुए वादी मलूका ने सरासर झूठा मनगंढन्त व बनावटी एक साजिश व षडयंत्र रचते हुए प्रतिवादी निहालिया जो उस वक्त टीबी की बीमारी बीमार था, चारपाई पकड़े हुए था और वक्त जैसलमेर जिला में टीबी का कोई पुख्ता ईलाज नहीं था। इन समस्त कमजोरियों को देखते हुए वादी मलूका ने उसकी जमीन को हड़पने के लिये अपना 1/2 हिस्सा बताते हुए दावा प्रस्तुत कर फर्जी नोटिस तामिल करवा कर एकतरफा फैसला हासिल कर लिया जो सरासर गलत, फर्जी, गैरकानूनी है। उक्त फैसला होने के बाद प्रतिवादी निहालिया की टीबी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई और इस फैसला की भनक उसके वारिसान उसकी औरत तीजों व उसके लड़के—लड़कियां छोटी अवस्था में थी और उनको इस फैसला की कोई जानकारी नहीं थी। वादी मलूका ने सारा फर्जी काम गुप्त रूप से किया और निहालिया की जमीन को हड़पने के लिये सारी फर्जी कार्यवाही की। वास्तविक रूप में समरी सैटलमेंट सन् 1955 से लेकर फाईनल सैटलमेंट की पैमाईश सन् 1965 व उसके बाद फाईनल सैटलमेंट के खसरे व नक्शे बन्द कर संवत् 2032 में लागू किये गये तब तक इस जमीन का केवल मात्र अकेला मालिक व खातेदार गुलाबा पुत्र मिश्री ही था। वादी द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में 1/2 की खातेदारी प्राप्त की है तथा उक्त आराजी का अजनबी व्यक्तियों को बेचान किया गया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स के खातेदारी अधिकारो के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड की अनदेखी कर रेकर्ड के विपरीत सरासर गलत प्रतिवादी निहालिया के खिलाफ एकतरफा फैसला दिया गया है और स्व०

राजस्व अपील प्राधिकारी

निहालिया की जमीन को हड़प करने के लिये वादी मलूका ने झूठा व फर्जी मुकदमा दर्ज करवा कर गलत फैसला हासिल किया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स स्व० निहालिया के वारिसान पत्नी व पुत्रों आदि को नहीं हो सकी। स्व० निहालिया की जमीन रेस्पोडेन्ट स्व० मलूका के वारिसान द्वारा गलत रूप से बेचान किया जा रहा है, तब जानकारी होने पर नकलें आदि निकलवा कर हस्तगत अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब के सद्भाविक कारण के आधार पर विलंब को माफ किये जाने सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट् अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25 सितंबर 1987 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलांट्स द्वारा वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट मलूका के पिता खंगार व अपीलांट निहालिया के दादा मिश्री सगे भाई थे तथा समरी बन्दोबस्त से पूर्व फौत हो चुके थे। उस समय दोनो सख्सो की औलाद संयुक्त परिवार के रूप में निवास कर रही थी। सरसरी बन्दोबस्त में गुलाबो ने सामलाती भूमि को अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन मौके पर कब्जा काश्त रेस्पोडेण्ट मलूका व उसके वारिसान का बराबर कब्जा व काश्त बरकरार व कायम रहा है। अपीलांट का यह कथन तथ्यहीन है कि रेस्पोडेण्ट ने सजरा खानदान के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में श्री आईदान सिंह PW. 1, मलूका PW. 2. दूर्गसिंह PW- 3 के रूप में बयान दर्ज किये गये तथा कब्जा साबित करने के लिए हल्का पटवारी के बयान दर्ज किये गये। इससे यह साबित है कि रेस्पोडेण्ट मलूका ग्राम सलखा के खेत खसरा नम्बर 115 रकबा 45—15 बीघा व खसरा नम्बर 456 के रकबा 52 बीघा पर 1/2 के हिस्से पर टेनेन्सी एक्ट लागु होने से आज तक निरन्तर काबिज काश्त होने से खातेदार का हकदार हो चुका था। रेस्पोडेन्ट्स के खिलाफ अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील 35 वर्ष बाद पेश की गई है जो कि भारतीय लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत पोषणीय नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि उस वक्त अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार का ओब्जेक्शन नहीं किया गया। अपीलांट्स को उनके विरूद्ध हुए निर्णय व डिकी की पूर्ण जानकारी थी। अपीलाण्ट का यह कथन तथ्यहीन है कि उनके खिलाफ हुई डिक्री व आदेश की जानकारी उन्हें समय पर प्राप्त नहीं हुई, जबकि अपील पेश करने से 9 माह पूर्व अपीलाण्ट श्रीमति तीजो, अपीलाण्ट सबलाराम पुत्र स्व श्री निहालाराम, अपीलाण्ट श्री चानणाराम पुत्र श्री निहालाराम ने उक्त खसरे की भूमि का बेचान केता श्री लालाराम पुत्र श्री पूनमाराम जाति भील निवासी कनोई के नाम किया है, जिससे यह साबित है कि अपीलाण्ट को उनके खिलाफ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के आदेश की जानकारी थीं। अपीलाण्ट द्वारा श्री लालाराम पुत्र पूनमाराम जाति भील के नाम भूमि का बेचान किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तथा लालाराम को ही रेस्पोडेण्ट बनाया गया जो कि माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ट संख्या 37 पर उपलब्ध सम्मन पावति रिपोर्ट के मुताबिक विचारणप न्यायालय द्वारा वाद संस्थित कर प्रतिवादी निहालिया पर सम्मन की व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील करवाया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी निहालिया के उपस्थित नहीं होने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए मामले में तहसीलदार के जवाब एवं वाद पत्र के आधार पर तनकीयात कायम कर वादी की साक्ष्य लेकर प्रस्तुत साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने प्रकट होते है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह्न दुर्गसिंह एवं आईदानसिंह ने वादग्रस्त आराजीयात के आधे हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। यह उल्लेखनीय है कि तत्समय के हल्का पटवारी दीनदयाल डी.डब्ल्यू–1 ने अपनी जिरह में वक्त गिरदावरी मौके पर जाने पर वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का आधे हिस्से पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है।

रेस्पो. का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपना आधा हिस्सा होना स्वीकार करते हुए क्रेता लालाराम को भूमि का बेचान किया गया है। उक्त तथ्य से साबित है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में जानकारी रहीं है। अपीलांट्स द्वारा इतनी लंबी अवधि बाद बिना कोई सद्भाविक कारण बतलाये हस्तगत अपील अंत्यंत विलंब से पेश की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील काल–वर्जित पायी जाती है। वस्तुतः विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर दोनो अपीले म्याद बाधित एवं गुंणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 13/1987 अनवान मलूका बनाम निहालिया इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 सितंबर 1987 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर